

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)


सं.14012/04/2009-अ.भा.से.-III

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त, 2014

अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य संवर्ग के वर्ष 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य सुश्री तुलसी मद्दिनेनी को 22.08.2007 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।


(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

सं.14012/04/2009-अ.भा.से.-III

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त, 2014

1. मुख्य सचिव, कर्नाटक को इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित अधिकारी को उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि अग्रेषित करें।
2. महालेखाकार (ए एंड ई), कर्नाटक।
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली। वर्ष 2004 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर उक्त अधिकारी की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति की गई थी।
4. स्थापना अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (उत्तराखंड)।
6. डेस्क अधिकारी (वेतन), एआईएस-II अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
7. ईओ (सीएम), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।